अध्याय-8

सहकारी सोसाइटियों की सम्पत्तियां और निधियां

Chapter-VIII

Properties and Funds of Co-operative Societies

47. निधियों का विभाजित नहीं किया जाना— किसी सहकारी सोसाइटी के शुद्ध लाभों से भिन्न निधियों के किसी भी भाग का, बोनस या लाभांश के रूप में संदाय या उसके सदस्यों के बीच अन्यथा वितरण नहीं किया जायेगा:

परन्तु किसी सदस्य को उसके द्वारा सहकारी सोसाइटी के लिये की गयी किन्हीं सेवाओं के लिये ऐसे मापमान से, जो उपविधियों द्वारा अधिकथित किया जाये, पारिश्रमिक, भत्ते या मानदेय संदत्त किये जा सकेंगे।

47. Funds not to be divided.— No part of the funds other than the net profits of a co-operative society shall be paid by way of bonus or dividend or otherwise distributed among its members:

Provided that a member may be paid remuneration, allowances or honoraria on such scale as may be laid down by the bye-laws for any services rendered by him to the co-operative society.

48. शुद्ध लाभों का व्ययन— (1) सहकारी सोसाइटी किसी वर्ष में अपने शुद्ध लाभों में से,-

(क) अपने लाभ का पच्चीस प्रतिशत, और ऐसी कालावधि के भीतर-भीतर, जो विहित की जाये, आरक्षित निधियों में अन्तरित करेगी;

(ख) लाभ का एक प्रतिशत जो विहित किया जाए, नियमों के अधीन गठित सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण निधि में जमा करेगी;

(ग) लाभ का ऐसा भाग, जो उपविधियों में विनिर्दिष्ट किया जाये, हानि, यदि कोई हो, की पूर्ति करने के लिए उपविधियों के अधीन सृजित निधि में जमा करेगी; और

(घ) सदस्यों को उनकी समादत्त शेयर पूंजी पर ऐसी दर से लाभांश का संदाय करेगी, जो विहित की जाये।

(2) शुद्ध लाभ के अतिशेष का उपयोग निम्नलिखित सभी या किन्हीं भी प्रयोजनों के लिये किया जा सकेगा, अर्थात:-

(क) सदस्यों को सोसाइटी के साथ उनके द्वारा किये गये कारबार की मात्रा या परिमाण पर उपविधियों में विनिर्दिष्ट सीमा तक तथा रीति से, प्रोत्साहन का संदाय;

(ख) ऐसी विशेष निधि का गठन या उसमें अभिदाय जो उपविधियों में विनिर्दिष्ट की जाये;

(ग) पूर्त विन्यास अधिनियम, 1890 (1890 का केन्द्रीय अधिनियम 6) की धारा 2 में यथापरिभाषित किसी पूर्त प्रयोजन के लिए या सहकारी आन्दोलन को समर्पित किसी हेतुक के लिए, शुद्ध लाभ के दस प्रतिशत से अनधिक की रकम का संदाय;

(घ) सोसाइटी के कर्मचारियों को उपविधियों में विनिर्दिष्ट सीमा तक और रीति से बोनस का संदाय।

48. Disposal of net profits.— (1) A co-operative society shall, out of its net profits in any year,—

(a) transfer, to the reserve funds, twenty five percent of its profits and within such period as may be prescribed;

(b) credit one percent of the profits, as may be prescribed, to the Co-operative Education and Training Fund constituted under the rules;

(c) credit such portion of the profits, as may be specified in the bye-laws, in the fund created under bye-laws to meet out the losses, if any; and

(d) pay dividend to members on their paid up share capital at such rate, as may be prescribed.

(2) The balance of the net profits may be utilised for all or any of the following purposes, namely:-

(a) payment of incentive to members on the amount or volume of business done by them with the society, to the extent and in the manner specified in the bye-laws;

(b) constitution of, or contribution to, such special fund as may be specified in the bye-laws;

(c) donations of amounts not exceeding ten percent of the net profits for any charitable purpose as defined in section 2 of the Charitable Endowments Act, 1890 (Central Act 6 of 1890); or for a cause dedicated to the co-operative movement;

(d) payment of bonus to employees of the society, to the extent and in the manner specified in the bye-laws.

49. निधियों का विनिधान— कोई सहकारी सोसाइटी अपनी निधियों का विनिधान निम्नलिखित किसी एक या अधिक में करेगी, अर्थात्:-

(क) केन्द्रीय सहकारी बैंक;

(ख) शीर्ष सहकारी बैंक;

(ग) परिसीमित दायित्व वाली किसी अन्य सहकारी सोसाइटी द्वारा जारी किये गये शेयरों या प्रतिभूतियों या डिबेंचरों में;

(घ) नियमों द्वारा या सरकार के साधारण या विशेष आदेश द्वारा अनुज्ञात किसी अन्य ढंग से :

परन्तु इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, नागरिक सहकारी बैंकों के लिये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस संबंध में प्रदत्त दिशा-निर्देश, यदि कोई हों, प्रभावशील रहेंगे।

49. Investment of funds.— A co-operative society shall invest its funds in one or more of the following, namely:-

(a) Central Co-operative Bank;

(b) Apex Co-operative Bank;

(c) in the shares or securities or debentures issued by any other co-operative society with limited liability;

(d) in any other mode permitted by the rules or by general or special order of the Government :

Provided that notwithstanding anything contained in this section, the guidelines, if any, issued by the Reserve Bank of India in this regards for the Urban Co-operative Banks shall have effect.

50. उधार लेने पर निर्बंधन— सहकारी सोसाइटी निक्षेप और उधार केवल ऐसी सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन प्राप्त करेगी जो विहित की जायें या जो उपविधियों में विनिर्दिष्ट की जायें।

50. Restrictions on borrowings.— A co-operative society shall receive deposits and loans only to such extent and under such conditions as may be prescribed or as may be specified in the bye-laws.

51. उधार देने की नीति— (1) सहकारी सोसाइटी सदस्य से भिन्न किसी भी व्यक्ति को कोई उधार नहीं देगी।

(2) किसी प्राथमिक ग्राम सेवा सोसाइटी या किसी कृषक सेवा सोसाइटी द्वारा किसी भी वर्ष में मंजूर किये जाने वाले उधार की कुल रकम का कम से कम एक तिहाई भाग और किसी भूमि विकास बैंक द्वारा किसी भी वर्ष में मंजूर किये जाने वाले उधार की कुल रकम के पच्चीस प्रतिशत से अन्यून ऐसे सदस्यों को मंजूर किया जायेगा जो कमजोर वर्गों के हों परन्तु जहां राज्य सरकार की राय में, ऐसा आरक्षण व्यवहार्य न हो वहां राज्य सरकार कमजोर वर्गों के लिए भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में ऐसे उधार के आरक्षण का भिन्न-भिन्न प्रतिशत नियत कर सकेगी।

(3) सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, किसी सोसाइटी या सोसाइटियों के वर्ग द्वारा जंगम सम्पत्ति की प्रतिभूति पर या स्थावर सम्पत्ति के बंधक पर, धन उधार दिया जाना प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित कर सकेगी।

(4) उप-धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सहकारी सोसाइटी किसी निक्षेपकर्ता को उसके निक्षेप की प्रतिभूति पर उधार दे सकेगी।

(5) किसी वित्तीय बैंक की उधार देने की नीति सरकार द्वारा अनुमोदित की जायेगी :-

परन्तु नागरिक सहकारी बैंकों के लिये जहां भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस संबंध में कोई दिशा-निर्देश जारी किये गये हों, प्रभावशाली होंगे।

51. Lending Policy.— (1) A Co-operative Society shall not make a loan to any person other than a member.

(2) Atleast one third of total amount of loan to be sanctioned by a primary village service society or a farmer's service society in any year and not less than twenty five percent of the total amount of loan to be sanctioned by a Land Development Bank in a year, shall be sanctioned to those members who belong to weaker sections, provided that where in the opinion of the State Government such reservation is not workable, the State Government may fix different percentages of reservation of such loan for weaker sections in different areas.

(3) The Government may, by general or special order, prohibit or restrict the lending of money on the security of movable property or on mortgage of immovable property by any society or class of societies.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), a co-operative society may make a loan to a depositor on the security of his deposit.

(5) The lending policy of a financing bank shall be approved by the Government :

Provided that where guidelines are issued by the Reserve Bank of India in this regards for the Urban Co-operative Banks, such guidelines shall have effect.

52. गैर-सदस्यों के साथ अन्य संव्यवहारों पर निर्बंधन— धारा 50 और 51 में यथा- उपबंधित के सिवाय, किसी सहकारी सोसाइटी का सदस्यों से भिन्न व्यक्तियों के साथ संव्यवहार, ऐसे निर्बंधनों, यदि कोई हों, के अध्यधीन होगा, जो विहित किये जायें।

52. Restriction on other transactions with non-members.— Save as provided in section 50 and 51, the transaction of a co-operative society with persons other than members shall be subject to such restrictions, if any, as may be prescribed.

53. भविष्य निधि— (1) सहकारी सोसाइटी अपने कर्मचारियों के फायदे के लिए अभिदायी भविष्य निधि स्थापित कर सकेगी जिसमें सोसाइटी की उपविधियों के अनुसार कर्मचारियों द्वारा और सोसाइटी द्वारा किये गये समस्त अभिदाय जमा किये जायेंगे।

(2) किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा उप-धारा (1) के अधीन स्थापित अभिदायी भविष्य निधि-

(क) का उपयोग सोसाइटी के कारबार में नहीं किया जायेगा;

(ख) सोसाइटी की आस्तियों का भाग नहीं होगी; और

(ग) कुर्की के दायित्वाधीन नहीं होगी या किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी की किसी अन्य आदेशिका के अध्यधीन नहीं होगी।

53. Provident Fund.— (1) A co-operative society may establish Contributory Provident Fund for the benefit of its employees to which shall be credited all contributions made by the employees and the society in accordance with the bye-laws of the society.

(2) A Contributory Provident Fund established by a co-operative society under sub-section (1)-

(a) shall not be used in the business of the society;

(b) shall not form part of the assets of the society; and

(c) shall not be liable to attachment or be subject to any other process of any court or other authority.

❑ ❑